Statement

(a) and (b) The Government has constituted a Commission on 02.10.2017 to examine sub categorisation of Other Backward Classes with the following terms of reference:–

(i) to examine the extent of inequitable distribution of benefits of reservation among the castes or communities included in the broad category of Other Backward Classes with reference to such classes included in the Central List;

(ii) to work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for sub-categorisation within such Other Backward Classes; and

(iii) to take up the exercise of identifying the respective castes or communities or sub-castes or synonyms in the Central List of Other Backward Classes and classifying them into their respective sub-categories.

The composition of the Commission is as follows:–

(i)	Chairperson	—	Justice (Retd.) G. Rohini, Chief Justice (Retd.), Delhi High Court.
(ii)	Member	—	Dr. J.K. Bajaj, Director, Centre for Policy Studies, New Delhi.
(iii)	Member (*Ex-officio*)	—	Director, Anthropological Survey of India, Kolkata.
(iv)	Member (*Ex-officio*)	—	Registrar General and Census Commissioner, India

The Commission was to initially submit its report in twelve weeks from the date of assumption of charge by the Chairperson. While substantial work has taken place, yet since the collection of certain critical data would require some more time, the Commission has been granted time till 27.03.2018 and would submit its report accordingly.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.183; the Member is not there. Are there any supplementaries? No. Now, we are going to the next question.

National Policy for upliftment of disabled persons

*184. SHRIMATI RAJANI PATIL: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government has formulated a National Policy for upliftment of disabled persons;

(b) if so, the details and salient features thereof;

(c) whether any steps have been taken to promote employment opportunities among disabled persons; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI KRISHAN PAL): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The National Policy for Persons with Disabilities, 2006 recognizes that the persons with disabilities are valuable human resource for the country and seeks to create an environment that provides them equal opportunities, protection of rights and full participation in society. The policy focuses on the following:–

1. prevention of disabilities,
2. physical rehabilitation measures such as early-detection and intervention, counselling and medical rehabilitation, assistive devices, development of rehabilitation professionals,
3. education for persons with disabilities,
4. economic rehabilitation of persons with disabilities such as employment in Government establishments, wage employment in private sectors and self-employment,
5. special focus on women and children with disabilities,
6. creation of barrier free environment,
7. streamlining of grant of disabilities certificates through simple, transparent and client friendly procedures,
8. social security programme,
9. promoting Non-Governmental Organizations.
10. managing data on persons with disabilities,
11. promoting research for improving quality of life for persons with disabilities, and
12. creation of environment to provide opportunities to persons with disabilities for participation in various sports, recreational and cultural activities.

(c) and (d) The Government has enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 which came into force from 19.04.2017. The Act *inter alia* provides for

4% reservation in vacancies in Government establishments for persons with benchmark disabilities (having degree of disability of forty per cent or more). The Act also mandates the appropriate Government to frame schemes to provide incentives to the employers in private sector to ensure that atleast five per cent of their workforce is composed of persons with benchmark disabilities. The said Act focuses on promoting inclusive education at all levels for persons with disabilities to improve their educational qualification for making them eligible for various occupations. It also mandates reservation of five per cent seats in all Government and Government aided higher educational institutions. Further, the Act also mandates the Government to frame schemes and programmes to support employment of persons with disabilities through vocational training and skill development. The Government has also launched the National Action Plan for skill development to impart skill training for persons with disabilities so as to enhance their scope of employability both in the public and private sector. The National Handicapped Finance Development Corporation also provides loan at concessional rates to persons with disabilities for self employment.

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, the hon. Minister has given an answer just like declaring two crore jobs every year for our unemployed youth. The reply states, "The Act *inter alia* provides for four per cent reservation in vacancies in Government establishments for persons with benchmark disabilities." I want to ask, through you, Sir, as to how many disabled persons have been employed under this four per cent reservation quota till now.

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक लोकप्रिय सरकार बनी, तो हमारे दिव्यांगों के लिए भारत सरकार की नौकरियों में जो रिजर्वेशन था, वह 3 परसेंट था, लेकिन नए बिल के अनुसार हमने उसको...

SHRIMATI RAJANI PATIL: My question is very specific. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let him reply. If you are not satisfied, then, you can ask. ...(*Interruptions*)...

श्री कृष्ण पालः मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिव्यांगों के प्रति आदरणीय मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है, ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... No running commentary, please.

श्री कृष्ण पालः मैं बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही।

श्री सभापतिः आप बोलिए।

श्री कृष्ण पालः नये बिल में उसको बढ़ाकर 3% से 4% किया गया है। जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय दिव्यांगों का बैकलॉग 15,694 था। पिछले तीन सालों में हमने 15,694 में से लगभग 14,000 दिव्यागों को भारत सरकार की सेवाओं में नौकरी दे दी है। अभी और 1000 नौकरियां देने का प्रोसेस चल रहा है और उनको भी बहुत जल्दी नौकरी दे दी जाएगी। दिव्यांगों के प्रति यह सरकार कितनी संवेदनशील है, यह इसी बात से सिद्ध होता है।

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, we are asking very specific questions, but, unfortunately, the Minister is not giving any specific reply. Sir, we need to provide a disabled-friendly atmosphere in our society. When we visit foreign countries, we see how many facilities these differently-abled people have. It is very unfortunate that in our country, especially in trains and railway stations, it is very difficult for disabled people even to walk. So, what steps is the Government of India taking for creating a friendly atmosphere for these disabled or differently-abled people in our country?

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि दिव्यांगों के लिए आवागमन बाधामुक्त हो, यह अभियान माननीय मोदी जी की सरकार ने 3 दिसम्बर, 2015 को चलाया था। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, my question was very specific.

श्री आनन्द शर्माः जो ये कह रहे हैं, इनका उत्तर सुनने के लिए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please, please. Anand Sharmaji, you are a senior Member.

श्री कृष्ण पालः जो सरकारी और गैर-सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें दिव्यांगों के लिए ramp बनाए जाएं, escalator लगाए जाएं, लिफ्ट लगाई जाए, यह नई योजना आदरणीय मोदी जी की सरकार लेकर आई थी। इस योजना पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। अभी तक राज्यों की तरफ से 3,000 से भी ज्यादा प्रस्ताव आ चुके हैं। बहुत से राज्यों ने अभी तक प्रस्ताव भेजा ही नहीं है, जैसे पश्चिमी बंगाल। जो-जो राज्य सरकार हमारे पास प्रस्ताव भेजती है, उस पर हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं और उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं। अभी तक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि की सरकारों ने प्रस्ताव भेजा है और उनको लगभग 150 करोड़ की राशि दे दी गई है।

महोदय, रेलवे स्टेशंस पर भी हमने इस दिशा में पहले फेज़ का काम शुरू कर दिया है। इस देश में 700 रेलवे स्टेशंस हैं, पहले फेज़ में हम उन स्टेशंस को दिव्यांगों के लिए बाधामुक्त बना रहे हैं। इसके लिए वहां हम escalator और लिफ्ट लगा रहे हैं। अभी तक लगभग 700 रेलवे स्टेशंस पर काम शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे हम सभी स्टेशंस को दिव्यांगों के लिए बाधामुक्त बनाएंगे, सभी ट्रांस्पोर्ट्स को बनाएंगे, बसेज़ को बनाएंगे, उनके लिए टॉयलेट बना रहे हैं। इस तरह हम इन सारे कामों को कर रहे हैं।

SHRI ANIL DESAI: Sir, the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which came into force in April, 2017, has a provision that the Government frames

schemes and programmes to support employment of persons with disabilities through vocational training and skill development. May I know, through you, from the hon. Minister what measures have been taken as of yet by the Government for creating institutions for vocational training and institutions for skill development? Has the vocational training started? Will there be separate skill development institutions for people with disabilities or will they have to go in the same stream and they will have reservation and other issues for getting admission into these institutions? May I know this from the Minister?

श्री कृष्ण पालः महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है। दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

श्री सभापतिः आप संक्षेप में स्पेसिफिक उत्तर दीजिए।

श्री कृष्ण पालः इसके लिए हमने 237 इंस्टीट्यूट्स को empanel किया है। महोदय, उनमें हम दिव्यांग बच्चों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं। उसके ऊपर जो खर्च होता है, उसे हमारा विभाग वहन करता है। अब तक हम हजारों दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दिलाने का काम और उसके बाद उन्हें रोजगार देने का काम कर चुके हैं। उन्हें स्व-रोजगार देने के लिए हमारा विकलांग विकास निगम है। उसके माध्यम से हम उन्हें 25 हजार से 25 लाख रुपए तक का लोन स्व-रोजगार के लिए देते हैं और यह स्थिति लगातार चलेगी। हमने टारगेट तय किया है कि हम वर्ष 2022 तक ऐसे लाखों दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण देंगे और उन्हें रोजगार भी दिलाएंगे तथा यदि वे स्व रोजगार करना चाहेंगे, तो उसमें भी हम उनकी सहायता करेंगे।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने handicapped और disabled के लिए अभी बहुत सारी स्कीमें बताई हैं, लेकिन क्या इन्हें इस बात की भी जानकारी है कि आज जो disabled न चल सकता है, न उठ सकता है, जो बिस्तर पर लेटा है और जिसकी अंगुलियां भी काम नहीं कर रही हैं, उसकी पेंशन बन्द करने के ऑर्डर आ गए हैं, क्योंकि वह आधार कार्ड पर अपना प्रिंट नहीं कर सकता है या अपना अंगूठा नहीं लगा सकता है? क्या इस बारे में गवर्नमेंट कुछ सोच रही है तथा क्या उसके लिए सरकार कोई स्कीम ला रही है, जिससे उन्हें आधार कार्ड की जरूरत न पड़े?

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पेंशन से संबंधित मामला राज्य सरकारों से संबंधित है, लेकिन दिव्यांगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत अब यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अभी हमने देश भर के 14 राज्यों में दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया है। अब से पहले यह होता था कि एक स्टेट में जो कार्ड बनता था, वह उसी स्टेट के दूसरे जिले में मान्य नहीं होता था या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी मान्य नहीं होता था। हम नई योजना लेकर हम आए हैं और इसे 12 प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है तथा अभी दो प्रदेशों में इसे शुरू करना बाकी है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक हम तमाम प्रदेशों में ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि जो विकलांग बिस्तर पर लेटा है, उसके हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, ...(**व्यवधान**)... उसकी अंगुलियां भी काम नहीं कर रही है ...(**व्यवधान**)... और वह आधार कार्ड बनाने की स्थिति में नहीं है, ...(**व्यवधान**)... उसकी पेंशन बन्द की जा रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः विप्लव ठाकुर जी, ठीक है। मैं समझ गया। Please, please. ...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः महोदया, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि यह राज्य सरकारों से संबंधित विषय है। ...(**व्यवधान**)... हम राज्य सरकारों को सलाह देते हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री सभापतिः विप्लव जी, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज आप बैठ जाइए। Please, please.... (**व्यवधान**)... मंत्री जी, आपको समझ में आया होगा कि जो लोग अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए क्या आपने कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की है और क्या यह विषय आपके ध्यान में आया है? ...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि पेंशन राज्य सरकार का कार्य है, लेकिन उन राज्यों के दिव्यांगों को पेंशन ...(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: This is not the way. You are all senior Members. If you are not satisfied, you write a letter to me. I will look into that. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record while you are sitting and talking. That will not go on record.

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को यही बताना चाहता हूं कि राज्य में पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अतः राज्यों में पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। जहां तक यूआईडीएआई कार्ड का सवाल है, वह उसका बन रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज, आप लोग ऐसे ही बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। यह पद्धति नहीं है, यह आपको भी मालूम है। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, we need your protection. ...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Don't make allegations. If you have something specific and concrete, you write to me. I will definitely look into it.

श्री सतीश चंद्र मिश्राः मान्यवर, handicapped का issue एक बहुत ही sensitive issue है और मैं इससे खुद व्यक्तिगत रूप से वर्ष 1986 से जुड़ा हुआ हूं, जब मैंने अपने नाम से इनके लिए एक पीआईएल फाइल की थी, तब से लेकर आज तक जुड़ा हुआ हूं। मैं उनकी समस्याओं को भी जानता हूं, खासतौर से ब्लाइंड की समस्याएं मैंने पिछले 31 वर्षों से स्वयं देखी हैं। आज जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं या जो अन्य हैंडिकैप्ड पर्सन्स हैं, खास तौर से जो ब्लाइंड हैं, उनको एजुकेशन में जब तक आप पढ़ायेंगे नहीं, तब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। वे एम्प्लॉयमेंट के लायक तब होंगे, जब वे पढ़ाई-लिखाई करेंगे। उनको पढ़ने-लिखने के लिए एक माहौल चाहिए और माहौल के लिए उनको एक स्थान चाहिए, जहां वे रह सकें। उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था थी, जब मैंने पीआईएल की थी। उसके बाद, खुशी की बात यह है कि आगे चल कर जब बहुजन समाज

पार्टी की सरकार आयी और सुश्री बहन मायावती जी मुख्य मंत्री बनीं, तो उनके द्वारा वहां पर 800 करोड़ रुपये खर्च करके हमारी पूजनीय माता जी, स्व. (डा.) शकुंतला मिश्रा जी के नाम से वहां एक युनिवर्सिटी बनी है, जोकि शायद सभी लोगों ने ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है? ...(**व्यवधान**)... आप क्वेश्चन पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी उसको जरूर देखें कि वहां पर किस तरह से हर तरह के हैंडिकैप्ड पर्सन्स को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनको पढ़ाया गया है और उनका एम्प्लॉयमेंट हो रही है।

श्री सभापतिः थैंक यू।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आज दिल्ली शहर में पिछले ही तीन-चार दिन पहले हम लोगों को अखबार में यह देखने को मिला कि जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, जहां पर वे रह रहे थे, जहां पर रह कर वे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, जहां पर अपने आगे के एम्प्लॉयमेंट के बारे में योजना बना रहे थे, वहां पर उनकी उस जगह को डिमॉलिश कर दिया गया, वहां बुलडोज़र चला दिया गया। बुलडोज़र चलाकर डिमॉलिशन करने के बाद..

श्री सभापतिः आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः डिमॉलिशन के बाद उनको सड़क पर छोड़ दिया गया और अखबार में दिखाया गया कि किस तरह से वे अपने कागज ढूँढ़ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Right.

श्री सतीश चंद्र मिश्राः तो क्या माननीय मंत्री जी, इस चीज़ के बारे में कोई व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे विकलांग लोगों के लिए, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, कि कम से कम उनके लिए रहने की एक परमानेंट व्यवस्था हो, सेट-अप हो, जहां रह कर वे अपनी पढ़ाई-लिखाई कर सकें और अपनी नौकरी पर भी जा सकें? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मंत्री जी, जवाब दीजिए।

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे बहुत काबिल सांसद हैं। इन्होंने सही कहा। ये जो दिव्यांग लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, इनके लिए हमने एजुकेशन में भी जो रिजर्वेशन है, नये बिल में, चार से पांच परसेंट किया है। इनके लिए DDR Scheme के तहत स्पेशल स्कूल्स चलाये जा रहे हैं।

श्री सतीश चंद्र मिश्राः रहने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः इनके रहने के लिए होस्टल्स ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... मैं पूछूँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः मान्यवर ...(**व्यवधान**)... उत्तर प्रदेश में तो हमने हर जिले में बनवा दिया था। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः आप बताइए कि ...(**व्यवधान**)... जो दिल्ली का मामला है, ...(**व्यवधान**)... वे आज भी सड़क पर खड़े हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः सतीश जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... आपने सवाल पूछ लिया है। ...(**व्यवधान**)... अब आप जवाब आने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः खास तौर से उसके बारे में जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री कृष्ण पालः सर, उनके लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बिना चेयर की अनुमति के कोई भी बोले या खड़ा हो, वह तो रिकॉर्ड में नहीं जायेगा। आप सबको मालूम है कि यह पद्धति है।

दिल्ली के बारे में जो सीधा पूछा गया है, उसके बारे में आपके पास अगर जानकारी है, तो बताइए।

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, दिल्ली के बारे में जो पूछा गया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताता हूँ कि उसकी जानकारी लेकर उन्हें उस जानकारी से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री कृष्ण पालः जहां तक इन visually-impaired लोगों की बात है, तो एजुकेशन में उनके लिए हमने रिजवेशन बढ़ाया है। DDR Scheme के तहत जो एनजीओज़ हैं, जहां वे पढ़ते हैं, उनको सारा खर्चा हमारे विभाग की तरफ से दिया जाता है। इसके साथ-साथ उनकी इन्क्लूसिव एजुकेशन के लिए भी अब हमने प्रबंध किया है। स्पेशल स्कूल्स में नहीं, जो सामान्य स्कूल्स हैं, उनमें भी उनको दाखिले से कोई वंचित नहीं करेगा। उनके लिए स्पेशल एजुकेटर उन स्कूल्स को लगाना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान हमारी सरकार ने किये हैं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। दिल्ली के बारे में जो स्पेसिफिक पूछा गया है, पहले ज़ीरो ऑवर में भी एक सबमिशन था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हरदीप सिंह पुरी जी के पास जानकारी है, तो वे बताएं। ...(**व्यवधान**)... इसीलिए मैंने खुद आपका सवाल उनसे पूछा है।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Mr. Chairman, Sir, I seek your permission to respond to the specific issue raised by the hon. Member in relation to the four blind students who were allegedly displaced on account of some anti-encroachment activity carried out by the DDA. Sir, I had responded to this earlier in response to a Starred Question and the facts are the following. These students had been rehabilitated in an adjoining school. This had been provided for but they were brought back. This is an incident which took place on December 15th. But,

just when that issue was being discussed, it was reported in the newspapers on December 23rd. This is an illegal encroachment on DDA land and these four blind students were being used as ruse for those who were engaging in illegal activities in this school in order to lay a claim to that property. So, it is not correct to say that they were displaced from there. They had been offered alternate placement in a school for blinds and visually-impaired in a nearby area. And, after having been given notices, after several months, this had been done. But, then, this publicity in a news report was created that day. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Okay, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: So, let me again submit, Sir, that we have already provided alternate placements and it is our policy not to do this, especially, during winter months,. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir,... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please, I can't go against the rules. ...(*Interruptions*)... Only three supplementaries are allowed. ...(*Interruptions*)... What is your specific point?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is a very sensitive thing. We appreciate that the Minister has...

MR. CHAIRMAN: No, no, Anand Sharmaji, you know the rules. ...(*Interruptions*)... You know the rules better than me. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Chairman, I know the rules. That is why...

MR. CHAIRMAN: That is why; I have also taken up the issue with him. Now, Question No. 185. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir, I should be allowed to ask...

MR. CHAIRMAN: No, no, Question No. 185. Instead of that, you send me a note, please. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Yes, Question No. 185. Please, ...(*Interruptions*)..

SHRI ANAND SHARMA: Please, Sir.

MR. CHAIRMAN: It won't be nice for me to engage in a verbal duel with you. Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: It will be a bad precedent that I am not being allowed to ask questions. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: That is what I am saying, do not create a bad precedent. Please, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, *

MR. CHAIRMAN: That will not go on record. Please do not argue unnecessarily, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: *

MR. CHAIRMAN: Everything with the permission of the Chair will go on record. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: *

MR. CHAIRMAN: That is totally an unfair comment unbecoming of you as the Deputy Leader. I know the rules. ...(*Interruptions*)... The rule says that three supplementaries are allowed. ...(*Interruptions*)... You had not given the name and now you are making a charge against the Chair also. ...(*Interruptions*)... You are making a sweeping remark on the Chair. This will not be allowed. Please, this will not be allowed. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: *

MR. CHAIRMAN: You said, "In the insensitive manner." Who is insensitive? Please, ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record.

SHRI ANAND SHARMA: *

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना का विकास

*185. **श्री राम नाथ ठाकुरः** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चीन की सीमा से सटे क्षेत्रों में सड़क परिवहन तथा हवाई यातायात को सुगम बनाए जाने के लिए क्या-क्या पहल की जा रही है; और

(ग) सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़े जाने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)ः (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*Not recorded.